

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।
विज्ञापन सं०-02/2019

स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' एवं ट्यूटर के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अन्तर्गत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आदि संस्थानों में पद-स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' तथा राज्य के नर्सिंग स्कूलों में शिक्षण कार्य हेतु ट्यूटर के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी पदवार विवरणी निम्नलिखित रूप से है:-

क्र० सं०	सा०प्र०वि० का पत्रांक एवं दिनांक	पदनाम	ग्रेड पे०	पदों की कोटिवार विवरणी								अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
				(4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता से० के नाती/पोते को देय आरक्षण सहित) इसमें महिलाओं का प्रतिशत अनुपात अधिक होता है, अतः महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होगा।								
				अना०	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन० जाति	अ०पि० व०	पि०व०	पि०व० की महिला	कुल	
01	6165/08.05.2019	स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए'	4600/- 7वे पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तर-7 (सात)	2498	625	2036	96	2380	1069	426	9130	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार से समय-समय पर अवधारित अवधि का जी०एन०एम में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा।
02	8916/04.07.2019	ट्यूटर	4800/- 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर-8 (आठ)	66	16	29	01	31	20	06	169	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद् (Indian Nursing Council), नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर अवधारित अवधि की M.Sc Nursing या B.Sc Nursing (Basic/Post Basic) Course या Diploma in Nursing Education and Administration (D.N.E.A) Course में उत्तीर्णता के साथ दो वर्षों का व्यवसायिक कार्यानुभव तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा।

स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' हेतु:-

2. आयु सीमा:-दिनांक-01.08.2015 को:-

- (i) न्यूनतम आयु : 21 वर्ष
- (ii) अधिकतम आयु सीमा :-
अनारक्षित वर्ग (पुरुष) - 37 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) - 40 वर्ष
अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष/महिला) - 42 वर्ष
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों (दिव्यांग) को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दिव्यांग एवं संविदा कर्मी दोनो होने की स्थिति में उम्र संबंधी दोनो छूट एक साथ अनुमान्य नहीं होंगे तथा यह छूट विकल्प पर आधारित रहेंगे।
- (iv) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' को नियमित नियुक्ति में अवसर देने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। (स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक-422(6), दिनांक-19.03.2019)
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

3. चयन की प्रक्रिया:- स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जायेगी:-

- (i) जी०एन०एम० कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए:- -60 अंक
- (ii) उच्चतर कोर्स के लिए (यदि हो तो):- -15 अंक
- (iii) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव (प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक) -25 अंक

कुल -100 अंक

- (iv) अभ्यर्थी, दिनांक:-**25.07.2019** तक बिहार सरकार के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र के साथ-साथ वेतन भुगतान प्रमाण पत्र का साक्ष्य ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे।

स्पष्टीकरण:- जी०एन०एम० कोर्स के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा कर करना होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिये जायेंगे।

ट्यूटर:-

4. आयु सीमा:-दिनांक-01.08.2018 को:-

- (i) न्यूनतम आयु : 21 वर्ष
- (ii) अधिकतम आयु सीमा :-
अनारक्षित वर्ग (पुरुष) - 37 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) - 40 वर्ष
अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष/महिला) - 42 वर्ष
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों (दिव्यांग) को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iv) बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों में संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत बहन ट्यूटर/ट्यूटर को नियमित नियुक्ति में अवसर देने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 15 (पन्द्रह) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। (स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक-792(6), दिनांक-27.06.2019)। दिव्यांग एवं संविदा कर्मी दोनो होने की स्थिति में उम्र संबंधी दोनो छूट एक साथ अनुमान्य नहीं होंगे तथा यह छूट विकल्प पर आधारित रहेंगे।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में निम्नतम वेतनमान पर कार्यरत सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

5. **चयन की प्रक्रिया:-** 'ट्यूटर' के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जायेगी:-
- (i) बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) या डी०एन०ई०ए० कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए:- -60 अंक
- (ii) एम०एस-सी० नर्सिंग लिए:- -15 अंक
- (iii) बहन ट्यूटर/ट्यूटर के रूप में बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों/संस्थानों में शैक्षणिक कार्य अनुभव के लिए (प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक) -25 अंक

कुल -100 अंक

नोट:- व्यवसायिक अनुभव हेतु कोई अंक देय नहीं है।

स्पष्टीकरण:- बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) या डी०एन०ई०ए० कोर्स के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण उक्त परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिये जायेंगे।

- (iv) अभ्यर्थी, दिनांक:- 25.07.2019 तक बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों/संस्थानों में संविदा के आधार पर 'ट्यूटर' के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे।

6. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
- (b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र, (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
- (b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
- (C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) परिसम्पति प्रमाण पत्र- (सामान्य प्रशासन विभाग की अधि० सं०-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में)
- (b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
- उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।
- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि

क्र०सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला (WBC)
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWC)

- (v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत श्रेणी आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती /नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक -16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' के पद पर कार्य करने/ बिहार राज्य के नर्सिंग स्कूलों में 'ट्यूटर' के पद पर कार्यरत रहने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।
7. **आवेदन शुल्क:**— Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:—

क्र०सं०	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 200/—
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/—
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/—
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों।	रु० 200/—

- (i) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।

अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या एस. बी. आई के ई-चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।

ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे।

वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती आवेदन शुल्क (Concessional Application Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से आवेदन शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

8. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (क) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे एवं इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसेलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ख) **स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए'** —कंडिका 3 (iii) के अंतर्गत कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा बिहार सरकार के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र के साथ-साथ वेतन भुगतान प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सिविल सर्जन एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अधीक्षक सक्षम प्राधिकार होंगे (स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-195(6), दिनांक-17.07.2019)।
- (ग) वैसे उम्मीदवार, जिनके अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है, उन्हें बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन परिषद् पटना से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फॉर्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- (घ) **ट्यूटर**—कंडिका 5 (iii) के अंतर्गत कार्य अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा बहन ट्यूटर/ट्यूटर के पदों पर सरकारी नर्सिंग स्कूलों में संविदा पर कार्यरत रहने का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार होंगे।
9. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसेलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का इंक साईन कॉपी निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
10. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।
11. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काँसेलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
12. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.btsc.bih.nic.in एवं आयोग के परीक्षा पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
14. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
15. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेंगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**
16. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
- (i) ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि: 26.08.2019
- (ii) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र /अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

- (iv) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
- (v) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- (vi) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (viii) **फोटोग्राफः—** (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवायेंगे।
- (ix) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (x) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।

नोटः—1. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

20/10/19
उप सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
पटना।